RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-02
February -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

मनरेगा : पर्यावर्णीय सेवाएं एंव महिला सहभागिता सारांश

शाइस्ता बी

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डीएसबी परिसर, नैनीताल।

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 16 Feb 2020

Keywords
मनरेगा, महिलाएँ, पर्यावरण, अकुशल श्रम, प्रभाव

***Corresponding Author**
Email: shaistabi786[at]gmail.com

ABSTRACT

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारेटी अधिनियम (मनरेगा) 2005, 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था इस अधिनियम का उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार जिसके सदस्य स्वेछा से अकुशल श्रम करना चाहते हो, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपल्बध कराना है। मनरेगा द्वारा जो कार्य किये ता रहे है, जैसे – तालाब के चारों ओर पेड़ लगाना कब्रिस्तान में पेड लगाना, कुएँ और शैचालय निर्माण आदि पर्यावरर्णीय कार्य है। मनरेगा योजना के अनर्तगत कार्य करने वाले में लगभग 1/3 महिलाएँ का होना आवश्यक है। योजना में महिला को प्रार्थमिकता दी गई है। इसलिए मनरेगा योजना द्वारा कार्यरत महिलाएँ पर्यावर्णीय कार्यो में सहभागिता निभा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र पर्यावरर्णीय कार्यो मे किस प्रकार महिलाएँ अपनी सहभागिता निभा रही हे। इसका एक अवलोकन व विश्लेशण करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

भारत में बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भारत के नीति निर्माताओ के लिए चिंता का विषय रहा है। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पुर्नगठित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, शुरू में 2 फरवरी,2006 से भारत में 200 चयनित पिछडें जिलों में लागू किया गया था। और 2008 में लगभग ये पूरे भारत में लागू हो गया जो कम से कम 100 दिनो के लिए समान अधिकार सुनिश्चित कराता है। बेरोजगार ग्रामीण गरीबों को अकुशल मजदूरी रोजगार मनरेगा की अवधारणाएँ उपन्यास और अभिनव है। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए न केवल सक्षम,पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के साथ – साथ लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। बल्कि इस रोजगार सृजन और बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण की पहल के लाभ के लिए एक समन्तिवत दृष्टिकोण भी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही संचालित विभिन्न विकास उन्मुख योजनाओ के साथ है। क्षेत्रों में मनरेगा का उद्देश्य व्यावसायिक विकल्पों को व्यापक बनाना और ग्रामीण क्षत्रों में रोजगार कें कम से कम 100 दिनों की मजदूरी गारंटी को एक वित्तीय वर्ष में हर घर में सुनिश्चित करना है। जिसके वयस्क सदस्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल मैनुअल श्रम प्रदान करने के इच्छुक हैं। अधिनियम के उद्देश्यों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण और ग्रामीण क्षेंत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है, जिससे रोजगार की तलाश क्षेत्रो में पलायन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलें।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति एंव स्तर का आंकलन करना अति आवश्यक हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोडे. बिना किसी भी समाज, राज्य एंव देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यह जनसंख्या कृषि कुटीर उद्योग, हथकरघा जैसे कार्यों से जुड़ी हुई है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों द्वारा बुवाई, निराई – गुड़ाई, चारे की कटाई, अनाज निकलवाने सहित विभिन्न श्रमसाध्य कार्य किये जाते हैं इसके अतिरिक्त महिलाएं मुर्गीपालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन के कार्य भी करती है।

उद्धेश्य

- मनरेगा द्वारा किए जा रहे पर्यावर्णीय कार्यो को समझना
- पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यो में महिलाओ की भूमिका
- मनरेगा द्वारा महिलाओं में पर्यावरण जागरूकता को समझना

शोध क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध पत्र मे विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतो जैसेः– प्रस्तुत, पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है। साथ ही विश्लेषणात्मक एंव वर्णनात्मक पद्वति का प्रयोग किया गया है।

पर्यावरर्णीय सेवाएं और कृषि उत्पादकता

मनरेगा को एक पारिस्थितिकीय अधिनियम के रूप में मान्यता दी जाती है। जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पुनः उत्सर्जन द्वारा टिकाऊ आजीविका

RRIJM 2015, All Rights Reserved

का निर्माण करना है। इस प्रकिया में यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावो से लचीलापन और अनुकूलन प्रदान करता है।[1]

मनरेगा कार्यो की उपयुक्ता का प्रमाण पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में उनकी उपयोगिता के रूप मे उभर रहा है। [2]

अल्पकाल मे ही, पर्यावरणीय सेवाओ का प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों, जल उपयोगिता इत्यादि पर दिखाई दे रहा है। व्यापक पैमाने पर, इसके जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, और कार्बन पृथक्करण पर क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकते है।[3]

यह अध्याय इस योजना के पर्यावरर्णीय और कृषि पर प्रभावों का निर्धारण प्रमाण आधारित अध्ययनों के आधार पर करता है। उपलब्ध साहित्य बताता है कि महात्मा गांधी नरेगा सूक्ष्म स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव रहा है। यद्यपि, इस योजना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभावों के निर्धारण के लिए और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। उदाहण के लिए, छोटे/मध्यम और बड़े खेतो मे जिसे कुछ /सभी भू–भाग और फसलो की किस्मो के उत्पादन की व्यवहार्यता पर मनरेगा के प्रभावों जैसे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।

पर्यावरर्णीय सेवाओ में वृद्धि

प्रारंभिक खोज दर्शाती है कि मनरेगा कामों ने भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी की गुणत्ता मे सुधार, जलवायु मे बदलावों से (जल सुरक्षा और आजीविका को मजबूती प्रदान करके) उत्पादन व्यवस्था की संवेदनशील को कम किया है। यद्यपि कुछ अध्ययन यह भी संकेत करते है कि पर्यावरण पर मनरेगा कार्यो की सीमा और प्रभाव की निर्भरता, उसके द्वारा किए गए कार्यो, तकनीकी परिकल्पना, सृजित संपत्ति की गुणवत्ता और निर्मित भौतिक ढ़ाचों के प्रयोग पर निर्भर करती है। इस विषय पर कुछ ही अध्ययन उपलब्ध है।

यद्यपि बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते है कि मनरेगा का पर्यावरण पर सकरात्मक प्रभाव पडा़ है। लेकिन केवल कुछ ही अध्ययन इन प्रभावों का मात्रात्मक निर्धारण करने का प्रयास करते है।[4]

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किए गए एक पायलेट अध्ययन मे मनरेगा द्वारा उपलब्ध कराई गई पर्यावरण सेवाओं के मात्रात्मक निर्धारण के लिए एक कार्यशैली विकसित की गई और इसकी जाचं की गई। जिसके नतीजे दर्शाते है कि प्रभावों की व्यवहार्यता और विस्तार, पैमाने, तकनीकी परिकल्पना, स्वामित्व और निर्मित ढ़ाचों के रख – रखाव और तद्र्थ की गई, गतिविधियों पर निर्भर करता है।[5]

मनरेगा कार्यो की उपयोगिता और टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव नियोजन आवश्यक है। वही अध्ययन दर्शात हैं कि मनरेगा कार्य निष्पादन में आसान हैं और उन्हे असफलता से बचाव के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इन गतिविधियों से मिट्टी जल संभरण योजना के बेहतर किया जा सकता है।[6]

जल रिसाव में सुधार और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि

सूक्ष्मस्तरीय अध्ययन दर्शाते है कि मनरेगा में किए गए कामों, जैसे जल संरक्षण संरचनाओं का निमार्ण, पारंपरिक जल निकायों में सुधार, रोपण और अन्य गतिविधियों ने जल रिसाव को बेहतर बनाया है और भूमिगत जल पुनर्भरण में सहायता की है। इसके कारण भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि हुई है। और कुछ मामलों मे सिचाई के अन्तर्गत जल की उपलब्धता भी बढ़ी है।

राजस्थान मे 34 छोटे बांधो (Anicut) मे किए गए, एक मूल्यांकन में पाया गया कि औसत मनरेगा के अंतर्गत निर्मित एक छोटा बांध 26 हेक्टेयार क्षेत्र की सिचांई कर रहा था और भूमिगत जल पुनर्भरण में 3 से 25 कुओं कि व्द्धि हुई है, जिससे कि जल स्तर 10–40 फुट बढ. गया।[7]

चित्रदुर्ग अध्ययन (ऊपर वार्णित) में पाया गया कि मनरेगा के अतंर्गत बने रोक बाधं के कारण गांवो में एक वर्ष में रिसाव क्षमता बढ.कर 1,000 – 28,000 क्यूबिक मीटर हो गई। एक गावं में रिसाव टैकों के निर्माण के कारण जल संभरण क्षेत्र में पुनर्भरण 24 प्रतिशत बेहतर माना गया।[8] 2006 – 09 के बीच डिस्टीलेशन ने भूमिगत जल के पुनर्भरण को और भी बढ़ाया। अध्ययन किये गए 20 गांवों में से 3 ने भूमिगत जल में 30 प्रतिशत (46 मीटर), 53 प्रतिशत (82 मीटर) और 77 प्रतिशत (113 मीटर) की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। भूमिगत जल में वृद्धि से सिचाई क्षेत्र मे वृद्धि हुई। गावों ने दिखाया कि बोरवेल से सिचाई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई; दो गांवो ने सिंचित क्षेत्र में 90 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की, एक गांव नें डिसिल्टिंग के बाद सिंचाई क्षेत्र को 400 हेंक्टेयर से दो गुणा बढ़ा कर 800 हेक्टेयर रिकार्ड किया और तीन गांवो में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।[9]

मध्य प्रदेश के खारगोन जिले की एक परियोजना के नतीजों ने भी मनरेगा के जल और आजीविका सुरक्षा संबंधी कार्यो पर समग्र परिणामों को दिखाया है। तीन वर्षीय मनरेगा कार्यो पर समग्र परिणामों को दिखाया है। तीन वर्षीय मनरेगा परियोजना (2010–12) के समापन पर जोकि एक नदी के बचाव के लिए थी (इसमें डिसिल्टिंग, रोक बांध निर्माण इत्यादि शामिल है।) जल स्तर में वृद्धि देखी गयी जैसे कि सतही जल प्रवाह की अवधि 2 से 3 महीने बढ. गई और भूमिगत जल स्तर 2 से 3 मीटर बढ़ा और फसल क्षेत्र में लगभग 400 हेक्टेयर की वृद्धि हुई ।[10]

भारत भर में किए गए अन्य अध्ययन भी इसी तरह के नतीजे सामने रखते हैं। महाराष्ट्रय में स्व – बोध आधारित सर्वेक्षण में 200 नमूना परिवारों में से 40 प्रतिशत ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किए गए कामों के परिणामस्वरूप भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार

मनरेगा कार्यो मे गाद की खुदाई ने भूमि की उर्वरकरता को बढ़ाया है। आध्रं प्रदेश के चित्तूर में किए गए अध्ययन में, खोदी गई गाद को अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से जुडी 36,000 एकड़ निम्न कोटि की जमीन पर फैलाया गया। इससे जमीन मे पाए जाने वालें पोषण तत्वों के रूप में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ गई।[13] चित्रदुर्ग अध्ययन ने भी इसकी पुष्टि की है। जल निकायों से खोदी गई गाद के जैविक कार्बन अवयवों में 2– 3 गुणा वृद्धि दर्ज की गई है।[11]

हरित रोजगार का सृजन

मरनेगा कार्यों को हरित और सम्मानपूर्ण कार्यो के रूप में वर्णित किया जाता है, अर्थात् यह योजना श्रमिकों के लिए कार्य की बेहतर परिस्थितियां निमित करती है। उनके अधिकार व कानूनी हकों को सुनिश्चित कर, उन्हे सामाजिक सुरक्षा व रोजगार प्रदान कर, पर्यावरर्णीय स्थायी कार्यो द्वारा, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्जीवित करती है व जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करती है। प्रमाण दर्शाते है कि ऐसी स्थिति कई मामलों में दर्ज हुई है।

मनरेगा हरित रोजगार सृजित करता है। हरित रोजगार सम्मानपूर्ण रोजगार हैं। जो (उत्पादकता और सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अधिकार व नियोजन में भागीदारी सुनिश्चित करके) पर्यावरर्णीय टिकांऊपन (पारिस्थितिकीय व्यवस्था की सुरक्षा, नवीनीकृत ऊर्जा के स्त्रोतों पर निर्भरता) में योगदान देतें है और इसलिए जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन गतिविधियों से सीधे जुड़े हुए है।

बिहार के कैमूर में किए गए एक पायलट अध्ययन में[12] ग्रामीण संपर्क के छह कार्यस्थलो, छोटे सिचांई और जल संरक्षण कामों को एक 17 संकेतको वाले बिंदू आधारित सूचकांक पर मूल्यांकन किया गया, जोकि सम्मानपूर्ण कार्यो से जुड़े है, जिसमें शामिल हैं – मांग के आधार पर उपलब्ध रोजगार, मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल सुवधिाएं महिलाओं रोजगार इत्यादि। सभी छह कामो ने सम्मानपूर्ण कार्य की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया, जिसमे जल संरक्षण ने ग्रामीण संपर्क और छोटे सिचांई कामों से ज्यादा ऊंचा स्थान पाया। इसके विशिष्ट इस प्रकार नतीजे इस प्रकार थेः

- किए गए काम के आनुपातिक 100 प्रतिशत दैनिक मजूरी का भुगान किया गया,
- मांग किए गए दिनों के रोजगार को 91 प्रतिशत – 100 प्रतिशत तक उपलब्ध कराया गया।
- कुछ स्थानों पर कार्यस्थल सुविधाएं जैसे बच्चा रखने की व्यवस्था उपलब्ध नही थी, जुटाई गई।
- सभी मजदूरी भूगतान 7 – 15 दिन में कर दिए गए थे।
- 33 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओ को रोजगार उपलब्ध कराए गए। समुचित कार्यो में कार्यस्थल पर सम्मान और बिना किसी परेशानी के काम करना भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए एक अध्ययन [13] ने दिखाया है कि निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिको को विशेष रूप कई तरह की परेशाननियों (शोंषण, बीमारी)का सामना करना पडता है। मरेगा समुचित कार्य के अवसर उपलब्ध कराता है। छह उत्तरी राज्यो में 100 ग्राम पंचायतों पर किए गए एक क्षेंत्र अध्ययन मे पाया गया, कि श्रमिको ने मरनेगा को एक सम्मनपूर्ण रोजगार माना। 90 प्रतिशत श्रमिको ने बताया कि उन्हे कार्यस्थल पर किसी परेशानी की धटना का सामान नहीं करना पडा। ठेकेदारो के (मरनेगा में ठेकेदारों पर प्रतिबंध है) ना होने से काम की स्थितियां बेहतर हुई। श्रमिक अपनी मजदूरी और उन्हे कितना भुगतान किया जाएगा इसके बारे में अधिक जागरूक थें।

चूंकि मनरेगा कार्य जल सुरक्षा, भूमि कटाव रोकथाम में योगदान करते है। इससे वे पर्यावरर्णीय चिंताओं पर भी ध्यान देते है। कैमूर, बिहार मे किए गए एक अध्ययन ने भी पर्यावरण से जुडे संकेतो, जिसमे वनों और जल व्यवस्था की सुरक्षा शामिल है, के आधार पर कार्यो ने सूचांक में उच्च स्थान पाया और उन्हे पर्यावरर्णीय टिकांऊ श्रेणी में रखा गया। इस संबंध में विशेष खोजें इस प्रकार हैः

- सड़क/लघु सिंचाई और वर्षा जल संरक्षण ने ऐसी संरचनाओं के निमार्ण को बढावा दिया जिनसे भूमि के कटाव में कमी आई। यद्यपि ऐसा कोई काम इसमें नही किया गया जिससे कसाव में कमी आए और ढ़ाचा कमजोर हो।
- किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया और 100 प्रतिशत काम शारीरिक श्रम से किया गया है।
- कुल मिलाकर अध्ययन दर्शाते हैं कि मनरेगा काम अपनी अवधारणा में सम्मानपूर्ण और हरित है। यद्यपि मनरेगा एक की हरित योजना के रूप मे वास्तविक संभावना का पूरा इस्तेमाल तभी किया जा सकता है यदि अतिरिक्त मानक जिनमें योजना और कार्यान्वयन, पर्यावरर्णीय टिकांऊपन और सम्मानपूर्ण काम की दृष्टि से विशिष्ट गतिविधिया, जैसे कार्यस्थलो पर संसाधनो प्रभावी सामानो के इस्तेमाल को शामिल किया जाए।[14]

कृषि उत्पादन मे मनरेगा का प्रभाव

अध्ययन दर्शाते हैं कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर मनरेगा का प्रभाव एक समान नहीं है। मनरेगा कार्यान्वयन में जिन जिलो और गांवो ने बेहतर प्रदर्शन किया उनमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता मे एक स्पष्ट वृद्धि हुई। फिर भी,

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर सूक्ष्म स्तर पर मनरेगा के प्रभावों को मूल्यांकित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है।

मनरेगा : महिला सहभागिता एवं एक एशक की यात्रा

2 फरवीर, 2016 को मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए) को लागू हुए दस वर्ष पूरे हो गए। इस कानून की एक दशक की उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का विषय है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक इस पर 3,13,844.55 करोड़ रूपये खर्च हुए है। इसमें से 71 प्रतिशत राशि श्रमिकों को पारिश्रमिक देने में खर्च हुई है।[15]

श्रमिकों में से अनुसूचित जाति के श्रमिको की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है जबकि अनुसूचित जन जाति के श्रमिको की संख्या में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह 1980. 01 करोड़ रूपये के मानव दिवस सृजित किए गए। इसमें से महिला श्रमिकों की संख्या मे लगातार बढोतरी हुर्द है। यह संवैधानिक न्यूनतम संख्या से 33 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान टिकाऊ परिसंत्ति का निर्माण हुआ। इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समग्र ग्रामीण विकास से जोड़ा गया। इस कार्यक्रम के तहत 65 प्रतिशत से ज्यादा काम कृषि और इसकी सहायक गतिविधियों में हुआ है।

कार्यक्रम में नए सिरे से किये गये सुधार

पिछले सालो यानी 2015 – 16 के दौरान कार्यक्रम में नए सिरे से जान फंकी गई। इस दौरान दूसरी तिमाही (45.88 करोड़) और तीसरी तिमाही (46.10) में सबसे अधिक पांच साल के दौरान सृजित हुए। यह पिछले पांच साल के दौरान सृजित मानव दिवस से अधिक है।

इस कार्यक्रम के तहत 44 प्रतिशत पारिश्रमिक का भुगतान समय पर किया गया । 64 प्रतिशत से ज्यादा राशि कृषि और इससे जुड़ी सहायक गतिविधियो मे खर्च की गई। यह तीन साल में सबसे अधिक है। 57 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं है, जो अनिवार्य 33 प्रतिशत की सीमा से कही अधिक है। यह भी तीन साल में सबसे अधिक है। सभी मानव दिवसो में से 23 प्रतिशत हिस्सेदारी अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिक की है और जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों की हिस्सेदोरी 18 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास मत्रालय की ओर से शुरू किए गए कई सुधार कार्यक्रमों की वजह से इस कार्यक्रम में नई रफ्तार आई है। इनमे से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों को समय पर कोष जारी करना रहा है। इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियो और लाभार्थियों को समय और पारदर्शी ढंग से कोष जारी करने के लिए इलेक्ट्रॅनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया।

इसके लिए बैको और डाकघरो के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था की गई और भुगतान के लंबित होने के मामलो पर नजर रखी गई । साथ ही पाश्रिमिक भुगतान में लगने वाली अवधि भी घटाई गई। मंत्रालय ने नौ सूखाग्रस्त राज्यों में संकट पर तरुत कदम उठाए और वहां के संकटग्रस्त इलाकों में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया गया।

निष्कर्ष

मनरेगा के प्रावधानों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि गांवो मे ही रोजगार देने का यह एक सक्षम प्रयास है। रोजगार के लिए पलायन में कमी मनरेगा के कारण ही हो रही है। काफी व्यक्ति दुःखी होकर अपने राज्य को छोडकर दूसरे राज्य मे रोजगार की तलाश मे जाते थे, इस गति को मनरेगा ने काफी हद तक कम किया है। दुःखी होकर किए जाने वाले पलायन में कमी अधिकतर उन परिवारों मे दिखाई देती है। जिन्हे अपने परिवार के साथ पलायन करने की जरूरत होती है। सीमित कार्य अवसरों के कारण पूरे परिवार को विवश होकर पलायन करना होता है। इससे बच्चो की शिक्षा और परिवार की व्यवस्था सुविधा तक पहुंच मे बाधा आती है।

हमारे संविधान में काम के अधिकार को संवैधानिक बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी भारत सरकार ने मनरेगा को अधिनियम के रूप मे पारित किया जिससे व्यक्ति अपने रोजी – रोटी हक के रूप में सरकार से मांग सके। योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूसिचत जन जातियों और महिलाओ के लिए रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। बैको और डाकघरो में श्रमिको के लगभग 10 करोड़ खाते खोले गए हैं। और मनरेगा योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत भुगतान इसी जरिए से किया जा रहा है, जो वित्तीय समावेशीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। मनरेगा के अंतर्गत होने वाली आमदनी के कारण खेतिहर श्रमिकों की सौदेबाजी की क्षमता मे भी कुछ सीमा तक वृद्धि हुई और ग्रामीण निर्धनता को कम करने में सहायता मिली है।

समीक्षा में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चुनौतियों से निपटने हेतु कहा गया है कि पंचायती राज्य संस्थाओ को इस योजना के अंतर्गत जो केंद्रीय भूमिका दी गई है, उसके लिए इन संस्थाओ को स्वंय को तैयार करना होगा और सरकार द्वारा पंचायतो को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे, ताकि वे कार्यो को कारगर ढ़ग से पूरा कर सके।

नीति निर्माताओं के समक्ष यह चुनौती है कि वे ऐसी लचीले समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रख कर कार्यक्रम की रूप रेखा बनाए जिससे इन कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेसियां स्थानीय आवश्यकताओ और परिस्थितियो के अनुकूल नए तरीके अपनाने को प्रोत्साहित हो।

सरकार को चाहिए कि यहां पर योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे है वहा जाचं के माध्यम से दोषियो को दण्ड दे ताकि गैर कानूनी कार्य करने वाले अन्य लोग भी हतोत्साहित हो और योजना की पूर्ति संभव हो सके ।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

मनरेगा सभी विशेषताओ को समेटे हुए ऐसा कार्यक्रम है जो गरीबो और बेरोजगारी के उन्मूलन में एक कदम साबित हो रहा है, और यदि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समयबद्धता से इसका संचालन होता रहा है, तो वर्ष 2020 तक न केवल विजन 2020 का सपना साकार होगा, बल्कि गरीबी रेखा जैसे मानक को भारतीय समाज से निपटाने मे मदद मिलेगी। इसके पश्चात् आय में वृद्धि और रहन – सहन का स्तर ऊंचा होगा जिससे भारत गरीबी और बेकारी से हमेशा मुक्ति पा सकेगा।

संदर्भ

1. सेंटर फार साइंस एंड़ एनवायमेट(सी एस ई), ऑपरच्यूनिटीज फार एन आर ई जी ए; नई दिल्लीः सी एस ई; 2008.
2. ए.शर्मा,राइट– बेस्ट लीगल गारंटी एज डेवलपमेंट पॉलिसीः ए डिस्कशन ऑन द मनरेगा नेशनल रूरल इस्पलॉयमेट गारंटी एक्ट(एम जी एन, आर ई जी ए), नई दिल्ली : यूएनड़ीसी ,2010.
3. आर. तिवारी, एच. आई. सोमशेखर, वी. आर.रामकृष्ण, आई, के मूर्थि, एम. एस. कुमार, बी. के. .कुमार .एच. पाराटे, एम. वर्मा, एस. मालवीय, ए. एस. राव, ए.सेनगुप्ता, आर. कट्टुमूरी और एन. एच. रविन्द्रनाथ, महातमा गांधी नरेगा फॉर एनवायरनमेंटल सर्विस एनहेंसमेट एंड. वल्नरेबिलिटी रिड़क्शन : रेपिड़ अप्रेजल इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट; कर्नाटक ; इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खंड़ 66, संख्या 20,14 मई 2011.
4. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 परद शोध अध्ययनों का संकलन 2006–2012
5. तिवारी इत्यादि, मनरेगा फॉर एनवायरमेंट सर्विस एनहेंसमेट एंड़ वल्नरेबिलटी रिडक्शन : रेपिड़ अप्रेजल इन चित्रदुर्ग ड़िस्ट्रिक्त, कर्नाटक ;
6. देखे शर्मा,राइट लीगल गारंटी एज डेवलपमेट पॉजिसी। तिवारी इत्यादि, एम. जी. एन. आर. ई. जी. फॉर एनवायरमेंट सर्विस एनहेंसमेंट एंड़ वल्नरेबिलिटी रिड़क्शन : रेपिड़ अप्रेजल इन चित्रदुर्ग ड़िकस्ट्रिक, कर्नाटक
7. एस,वर्मा,एम जी एन आर ई जी ए ऐसेट्स एंड़ रूरल वाटर सिक्युरिटीः सिंथेसिस आफॅ फील्ड़ स्टड़ीज इन बिहार,गुजरात, केरल एंड़ राजस्थान, आंनद : इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट,2011.
8. उपरोक्त ।
9. उपरोक्त ।
10. डिस्ट्रक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जी एन आर ईसी जी ए एड़मिनिस्ट्रेड़ प्रेजेंटेशन,यह प्रेजेंटेशन खारगोन जिला प्रशासन ,मध्य प्रदेश द्वारा 20 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय को किया गया।
11. वाटरशेड ऑगेनाइजेशन ट्रस्ट (ड़ब्ल्यू ओ टी आर);इम्पेक्ट अप्रेज़ल एन आर ई जी ए इन औरंगाबाद एंड़ अहमद नगर डिस्ट्रिक आफॅ महाराष्ट्र डब्ल्यू ओ टी आर रिपोर्ट जो ग्रमीण विकास मंत्रालाय / यूएपडीसी को 2010 में सौपी गई।
12. सेंटर फार्रॅ एजुकेशन एंड़ रिसर्च डेवलपमेट (सी ई आर डी), एन आर ई सी ए प्रोसेसिस इन आंध्र प्रदेश एंड़ मध्य प्रदेशः अप्रेजल एंड़ रिसर्च स्टडी, सी ई आर डी, रिपोर्ट जो ग्रामीण विकास मंत्रालय/ यूएनडीपी, 2010 को सौपी गई।
13. तिवारी इत्यादि, एम जी एन आर ई जी ए फॉर एनवायरनमेटंल सर्विस एनहेंसमेंएंड़ वल्नरेबिलिटी, रिडक्शन : रेपिड़ अप्रेजल इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक।
14. इंटरनेशनल लेबर ऑगेनाइजेशन (आई एल ओ), एम जी एन आर ई जी ए : रिव्यू आफॅ डिसेंट वर्क एंड़ ग्रीन जॉब्स इन कैमूर ड़िस्ट्रिक्ट इन बिहार ।
15. पत्रिकाः कुरूक्षेत्र मार्च 2016

RRIJM 2015, All Rights Reserved